

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर
159/2020

तारीख दायर
11-09-2020

तारीख फैसला
25/04/2022

उनवान

01. शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
योगेश शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा

-----:: वादी

बनाम

01. सुरेनसिंह
02. श्रवणसिंह
03. बन्तासिंह
04. भगतसिंह पुत्रान श्री जयमलसिंह
05. दयाकौर पुत्री श्री जयमलसिंह
06. बचनाकौर पत्नी श्री सन्तासिंह
07. मिन्द्रोकौर
08. छिन्द्रोकौर पुत्रीयान श्री सन्तासिंह
09. सुन्दरसिंह पुत्र श्री सन्तासिंह जाति रायसिख निवासीगण ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर
10. मोखासिंह पुत्र श्री नारायणसिंह
11. दयाकौर पत्नी श्री दुलासिंह जाति रायसिख निवासीगण ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर
12. प्रकाशकौर पत्नी श्री भगतसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर
13. श्रीमान् तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर, तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

-----:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा वो हुकमइम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:: निर्णय ::-

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह दावा तकासमा मय हुकमइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 668 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। योगेश शर्मा को विवादित आराजी के संबंध में पूर्ण जानकारी है व वादी कम्पनी की ओर से समस्त विधिक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है। विवादित आराजी वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 की संयुक्त कब्जे काश्त शामलात खातेदारी की आराजी है। उक्त विवादित आराजी में वादी कम्पनी का 1/3 भाग व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा है, जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हो रहा है। जिस पर वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 मुताबिक अपने अपने भाग पर काबिज व दाखिल चले आ रहे हैं। रिकार्ड में शामलात राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 अपने अपने हिस्से के अनुरूप मौके पर उक्त आराजी पर काबिज एवं दाखिल है। किन्तु आज तक लिखित रूप में पक्षकारान के मध्य कोई बंटवारा नहीं हुआ है और राजस्व रिकार्ड में शामलात में ही काबिज व दाखिल चले आ रहे हैं। हर इंच पर हर हिस्सेदार का हिस्सा है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के मध्य बाई मिट्स एण्ड वारुण्डस आज तक कोई तकासमा नहीं हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा (अलवर) राज.
फर्द अहकाम

नाम शम्भुनाथ नम्बर 668

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का वसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 अनुपरिथत इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में आई गई। प्रतिवादी संख्या 13 फोरमल पक्षकार है कोई राजहित निहित नहीं है। अतः जवाब सरकार बन्द किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील ने वाद को प्रारम्भिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।


प्रकरण में दिनांक 06-01-2021 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार टपूकडा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा स्कीम तैयार कर रिपोर्ट कुरे तलब की गई। चूंकि तहसीलदार टपूकडा ने अपने पत्र क्रमांक: भू.अ./2022/5037 दिनांक 04-04-2022 के द्वारा प्रकरण में कुरे रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी। प्रार्थी अधिवक्ता ने मुताबिक कुरे रिपोर्ट फाईनल डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। कुरे रिपोर्ट का अवलोकन किया। दावा फाईनल डिक्री किया जाना उचित है।

अतः दावा वादीगण फाईनल डिक्री किया जाता है निम्नानुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 668 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01.	शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्रा0लि0 144/2 मथूरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार जयें डायरेक्टर विपुल गोयल पुत्र रोहताश गोयल महाजन सा. 144/2 मथूरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार	668	0.0333	बारानी 2	0.1312
02.	छिन्द्रो कौर मिन्दोकौर पुत्रीयान संतासिंह बचनोकौर पत्नी सन्तासिंह सुन्दर सिंह पुत्र संतासिंह 100/1267 रायसिख सा देह खातेदार दयाकौर पत्नी दूलासिंह हि0 500/3801 रायसिख सा. झुण्डपुरी खातेदार दयाकौर पुत्री जयमलसिंह बतासिंह भगतसिंह श्रवणसिंह सुरेण सिंह पि. जयमल हि0 500/1267 रायसिख सा. देह खातेदार प्रकाश कौर पत्नी भगतसिंह हि0 500/3801 रायसिख सा. देह खातेदार सोखासिंह पुत्र नारायण सिंह हि0 1001/3801 रायसिख सा. झुण्डपुरी खातेदार	668/1	0.1267	बारानी 2	0.50

तकसीम शुद्धा नक्शा फाईनल डिक्री का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।


 (महेन्द्र सिंह)
 उपखण्ड अधिकारी,
 तिजारा (अलवर)
 तिजारा (अलवर)